न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 122 / 2023

GCMS NO. 2023/339

श्री गणेश माईन्स एण्ड मिनरल्स, अजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 जरिये प्रोपराईटर–

1. विजय सिंह कसाणा पुत्र रामेश्वरलाल जाति गूर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. सुरेश कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति गूर्जर निवासी खरखडा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. जयदीप पुत्र रतन सिंह जाति जाट निवासी पवेरा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
4. सरोज सेरावत पुत्री शुभराम चौधरी जाति जाट निवासी टी 110 वार्ड नम्बर 06 महरोली, नई दिल्ली।

..................वादी

— बनाम —

1. उदमीराम पुत्र सुण्डा
2. तेजपाल पुत्र सुण्डा
3. दडकी पत्नी सुण्डा
4. शीशराम पुत्र सुण्डा
5. मालाराम पुत्र सुरजा[illegible]
6. मोहरू पुत्र महादेवा
   समस्त जाति माली [illegible] नगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
7. झुंझुनूं केन्द्रीय [illegible] लि[illegible] शाखा खेतडी जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक
8. भू–धारक, राजस्थान स[illegible] तहसीलदार खेतडी

.... प्रतिवादीगण

[illegible]– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह कसाणा अभिभाषक वादी

–: निर्णय :– दिनांक :– 04.11.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 05.02.2024 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके वाके राजस्व ग्राम अजयनगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 62 में

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:09:00 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज खसरा नम्बर क्रमशः 3645, 3646, 3647 कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर में वादी के 1/6 हिस्से का मौका कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग–अलग से खाता विभजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को 500 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 को मध्य नजर रखते हुये रास्ता कायम कर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2024/2824 दिनांक 20.08.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 का अधिवक्ता वादी को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 के मुताबिक वाद वादी अंतिम डिक्री कर दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी श्री विजयपाल नायब तहसीलदार बबाई के द्वारा दिनांक 26.07.2024 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था/प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2024 में भी यही आदेश दिया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी विजयपाल, नायब तहसीलदार बबाई द्वारा दिनांक 26.07.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 [illegible] न्यायोचित पाया (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अनुसार वाद वादी अंतिम डि[illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:09:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड आधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:09:00 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी (RAS)

श्री गणेश माईन्स एण्ड मिनरल्स, अजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
जरिये प्रोपराईटर–

1. विजय सिंह कसाणा पुत्र रामेश्वरलाल जाति गूर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. सुरेश कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति गूर्जर निवासी खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. जयदीप पुत्र रतन सिंह जाति जाट निवासी पवेरा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
4. सरोज सेरावत पुत्री शुभराम चौधरी जाति जाट निवासी टी 110 वार्ड नम्बर 06 महरोली, नई दिल्ली।

..................वादी

— बनाम —

1. उदमीराम पुत्र सुण्डा
2. तेजपाल पुत्र सुण्डा
3. दड़की पत्नी सुण्डा
4. शीशराम पुत्र सुण्डा
5. मालाराम पुत्र सुरजाराम
6. मोहरू पुत्र महादेवा
   समस्त जाति माली निवासीगण अजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
7. झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, शाखा खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक
8. भू–धारक, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नम्बर :– 122 / 2023
GCMS NO. 2023/339
निर्णय दिनांक :– 04.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:09:00 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से **श्री विजय सिंह कसाणा** [illegible] **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.11.2024 को [illegible] धर योगी (RAS) **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश [illegible] पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:09:00 IST
Reason: SelfAttested